"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 जुलाई 2010—श्रावण 1, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2010

क्रमांक ई 1-1/2010/1/2.—श्री यशवंत कुमार, भा.प्र.से. (2007) अनुविभागीय अधिकारी, सारंगढ़ जिला रायगढ़ की सेवाएं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरिया के पद पर पदस्थापना हेतु सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरजियस मिंज, अपर मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

रायपुर, दिनांक 28 जून 2010

क्रमांक 622/558/2010/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 942-43/382/2010/1-8/स्था., दिनांक 21-5-2010 द्वारा श्री जेवियर केरकेट्टा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 24-5-2010 से 29-5-2010 तक 06 दिवस स्वीकृत किये गये अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 30-5-2010 से 5-6-2010 तक 07 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. पैरा-2, 3 एवं 4 विभागीय आदेश दिनांक 21-5-2010 के अनुसार यथावत होगी.

रायपुर, दिनांक 28 जून 2010

क्रमांक 624/557/2010/1-8/स्था.—श्री डी. के. माथुर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 21-5-2010 से 5-6-2010 तक 16 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. माथुर को अवर सचिव; छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. माथुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 जून 2010

क्रमांक 628/431/2010/1-8/स्था.—श्री विनोद गुप्ता (दूरसंचार सेवा), विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को दिनांक 17-5-2010 से 26-5-2010 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विनोद गुप्ता को विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनोद गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 जून 2010

क्रमांक 630/580/2010/1-8/स्था.— इस विभाग के आदेश क्रमांक 539-40/259/2010/1-8/स्था., दिनांक 4-5-2010 द्वारा श्री सैयद कौसर अली, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 17-5-2010 से 29-5-2010 तक 13 दिवस स्वीकृत किये गये अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 30-5-2010 से 5-6-2010 तक 07 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. पैरा-2, 3 4 एवं 5 विभागीय आदेश दिनांक 4-5-2010 के अनुसार यथावत होगी.

रायपुर, दिनांक 30 जून 2010

क्रमांक एफ 2-6/2010/1-8.— श्री राजेश गोवर्धन (भा.व.से.) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग की सेवायें तत्काल प्रभाव से खनिज साधन विभाग को प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के पद पर पदस्थापना हेंतु सौंपी जाती है.

2. श्री जितेन्द्र कुमार (भा.व.से.) वन संरक्षक, प्रधान वन संरक्षक कार्यालय, रायपुर की सेवायें वन विभाग से लेते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह विकास निगम के पद पर पदस्थापना हेतु सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2010

क्रमांक 638/581/2010/1-8/स्था.— श्री व्ही. के. मिश्रा, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग को दिनांक 19-5-2010 से 16-6-2010 तक 29 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. मिश्रा को उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. के. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2010

क्रमांक 640/476/2010/1-8/स्था.— श्री अजय कुमार पाण्डेय, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 29-5-2010 से 11-6-2010 तक 14 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार पाण्डेय को विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय कुमार पाण्डेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2010

क्रमांक 642/534/2010/1-8/स्था.— श्री अशफाक हुसैन सिद्दीकी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 14-6-2010 से 18-6-2010 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अशफाक हुसैन सिंद्दीकी को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशफाक हुसैन सिद्दीकी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2010

क्रमांक 648/579/2010/1-8/स्था.— श्री जय नारायण अवस्थी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 21-6-2010 से 25-6-2010 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जय नारायण अवस्थी को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री जय नारायण अवस्थी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2010

क्रमांक 650/578/2010/1-8/स्था.— श्री एस. के. तिवारी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग को दिनांक 10-5-2010 से 22-5-2010 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. तिवारी को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2010

क्रमांक एफ 2-115/2007/12.—ज़िला एवं तहसील नारायणपुर, वन मंडल नारायणपुर में खनिज लौह अयस्क का जी. एस. आई. द्वारा सर्वेक्षण कार्य कर लौह अयस्क की उपलब्धता प्रतिपादित की गई है, परन्तु लौह अयस्क के वास्तविक भंडारों का आंकलन नहीं किया गया है. क्षेत्र में लौह अयस्क धारित चट्टानों की उपलब्धता तथा क्षेत्र की संवेदनशील "रिच डायवर्सिटी" को दृष्टिगत रखते हुए व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक तौर पर विस्तृत पूर्वेक्षण कार्य शासकीय एजेंसी द्वारा संपन्न किया जाकर लौह अयस्क के Proved Category के भंडार प्रमाणित किया जाना आवश्यक है.

2. अतएव राज्य शासन के द्वारा खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 74 (1) के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्न तालिका के कालम 5 एवं 6 में दर्शित अक्षांश एवं देशांश के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को इस अधिसूचना जारी होने की दिनांक के पूर्व से अनुशंसित तथा स्वीकृत पीएल/एमएल क्षेत्रों को छोड़कर शेष क्षेत्र को संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ रायपुर, के द्वारा अथवा उसके माध्यम

से खनिज लौह अयस्क एवं अन्य खनिजों के सर्वेक्षण/पूर्वेक्षण कार्य किये जाने हेतु आरक्षित किया जाता है.

क्र.	जिला एवं वन मंडल	रेंज/तहसील	टोपोशीट नं.	देशांश	अक्षांश
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	नारायणपुर	बेनूर नारायणपुर	65 E/6	A 81°26' 00" B 81°28' 00" C 81°26' 00" D 81°28' 00"	19°36' 00" 19°36' 00" 19°33' 00" 19°33' 00"

3. उक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 05 वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी. अधिसूचना प्रकाशित होने पर खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 74 (1) के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचना प्रभावशील रहने पर खनिज रियायतें स्वीकृत नहीं की जा सकेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2010

क्रमांक एफ 8-2/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन.टी.पी.सी., कोरबा के बायलर क्र.-एम. पी./3569 को दिनांक 24-06-2010 से 23-09-2010 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2010

क्रमांक एफ 8-5/2006/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन.टी.पी.सी., कोरबा के बायलर क्रमांक-एम. पी./3825 को दिनांक 01-06-2010 से 31-12-2010 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2010

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल कोरबा के बायलर मेकर क्रमांक 0358 को दिनांक 13-06-2010 से 30-09-2010 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2010

क्रमांक/एफ-1-5/25-2/2003/आजावि.—वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 13 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में, अधिनियम की निम्नांकित धाराओं के तहत समक्ष में अंकित व्यक्तियों को सदस्य नियुक्त करता है.

क्र.	वक्फ अधिनियम की धारा	नाम व्यक्ति जिसे नियुक्त किया जाता है
1.	धारा 14 (1) (ख) (ii)	श्री मोहम्मद अकबर, विधायक, के. के. रोड, मौदहापारा, रायपुर
2.	धारा 14 (1) (ख) (ii)	श्री बदरुद्दीन कुरैशी, विधायक, भिलाई नगर
3.	धारा 14 (1) (ख) (iii)	श्री फैजल रिजवी, अधिवक्ता, इंडियन काफी हाउस के पीछे, जी.ई. रोड, रायपुर.
4.	धारा 14 (3) [धारा 14 (5) की पूर्ति हेतु]	श्री शाहिद हुसैन, अधिवक्ता, गोलछा काम्पलेक्स, सी/103, नलघर चौक, रायपुर.

2. यह अधिसूचना दिनांक 20 जुलाई, 2010 से प्रभावशील होगी.

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2010

क्रमांक/एफ-10-17/25-3/2009/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के सरल क्रमांक 39 में सम्मिलित "कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार (कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी), कुर्मवंशी, चन्द्रकार, चंद्रनाहू, कुंभी, गवैल (गमैल) सिरवी" के पश्चात् "कुन्बी" को स्थापित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जून 2010

क्रमांक/एफ 5-23/2004/10-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24-7-2009 की कंडिका 13 तथा 14 के स्थान पर निम्नानुसार कंडिका प्रतिस्थापित करता है :—

13 (1) राज्य कैम्पा का शासी निकाय निम्नानुसार होगा :—

(i)	माननीय मुख्यमंत्रीजी	-	अध्यक्ष
(ii)	माननीय वन मंत्रीजी	-	सदस्य
(iii)	माननीय वित्त मंत्रीजी	-	सदस्य
(iv)	मुख्य सचिव	-	सदस्य
(v)	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन	-	सदस्य सचिव
(vi)	प्रमुख सचिव, वित्त	-	सदस्य

(vii) प्रधान मुख्य वन संरक्षक - सदस्य
(viii) मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक - सदस्य

शासी निकाय कैम्पा के संचालन हेतु विस्तृत नीतिगत ढांचा निर्धारित करेगा, तथा कैम्पा के क्रियान्वयन की समय-समय पर समीक्षा करेगा.

13 (2) राज्य कैम्पा की संचालन समिति निम्नानुसार होगी :—

(i) मुख्य सचिव - अध्यक्ष
(ii) अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन - सदस्य
(iii) प्रमुख सचिव/सचिव वित्त - सदस्य
(iv) प्रधान मुख्य वन संरक्षक - सदस्य
(v) मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक - सदस्य
(vi) प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य लघु वनोपज संघ - सदस्य
(vii) केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि - सदस्य
(viii) गैर सरकारी संगठनों के नामांकित दो सदस्य जिन्हें राज्य शासन द्वारा दो वर्ष के लिए नामांकित किया जाएगा एवं जिन्हें पुनर्नामांकित किया जा सकेगा. - सदस्य
(ix) मुख्य वन संरक्षक, (विकास/योजना) - सदस्य
(x) नोडल अधिकारी (मुख्य वन संरक्षक, भू-प्रबंध) - सदस्य
(xi) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) - सदस्य सचिव

13 (3) संचालन समिति :—

(i) राज्य कैम्पा के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के अधीन क्रियान्वयन समिति के कार्य संपादन हेतु नियमों एवं प्रक्रियाओं को तैयार करेगी.

(ii) राज्य कैम्पा द्वारा जारी की गई धनराशि के उपयोग एवं कार्य की प्रगति का अनुश्रवण करेगी.

(iii) क्रियान्वयन समिति द्वारा अनुशंसित किए गए वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन करेगी.

(iv) राज्य कैम्पा के वार्षिक प्रतिवेदनों एवं अंकेक्षित लेखा का अनुमोदन करेगी.

(v) अंतर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित करेगी.

(vi) छः माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी.

14 (1) राज्य कैम्पा की क्रियांन्वयन समिति निम्नानुसार होगी :—

(i) प्रधान मुख्य वन संरक्षक - अध्यक्ष
(ii) मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक - सदस्य
(iii) मुख्य वन संरक्षक (विकास/योजना) - सदस्य
(iv) प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ - सदस्य
(v) गैर सरकारी संस्थाओं के दो नामांकित सदस्य जिन्हें राज्य शासन द्वारा दो वर्ष के लिए नामांकित किया जावेगा एवं जिन्हें पुनर्नामांकित किया जा सकेगा. - सदस्य
(vi) नोडल अधिकारी (मुख्य वन संरक्षक, भू-प्रबंध) - सदस्य
(vii) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) - सदस्य सचिव

14 (2) राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति :—

(i) संचालन समिति द्वारा अनुमोदित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अंतर्गत तथा अनुमोदित वार्षिक कार्य आयोजना के अनुरूप राज्य कैम्पा को मूर्त रूप देने हेतु, उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के अनुरूप समस्त कदम उठायेगी.

(ii) राज्य हेतु विभिन्न गतिविधियों के लिए वार्षिक कार्य आयोजना तैयार करेगी, इसे संचालन समिति के समक्ष दिसंबर माह की समाप्ति के पूर्व प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत करेगी, एवं प्रस्तावित गतिविधियों एवं अनुमानित व्यय का विवरण देते हुए संचालन समिति की सहमति से धनराशि विमुक्त करने हेतु प्राप्त करेगी.

(iii) राज्य में कैम्पा निधि के द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण करेगी.

(iv) निधि के आय-व्यय के उचित लेखा परीक्षण हेतु उत्तरदायी होगी.

(v) क्रियान्वयन संस्था के लेखाओं के रख-रखाव हेतु संहिता का निर्धारण करेगी.

(vi) संचालन समिति के समक्ष प्रतिवेदन समीक्षा हेतु प्रस्तुत करेगी.

(vii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के जून माह के अंत तक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगी.

No. F 5-23/2004/10-2.—The State Government hereby substitutes the following paragraphs in place of para 13 & 14 of the notification of even No. dated 24-07-2009 :—

13 (1) The Governing body of the State CAMPA shall consist of the following :—

(i)	Honourable Chied Minister	-	Chairperson
(ii)	Honourable Minister of Forests	-	Member
(iii)	Honourable Minister of Finance	-	Member
(iv)	Chief Secretary	-	Member
(v)	Additional Chief Secretary/Principal Secretary (Forests)	-	Member Secretary
(vi)	Principal Secretary (Finance)	-	Member
(vii)	Principal Chief Conservator of Forests	-	Member
(viii)	Chief Wild Life Warden	-	Member

The Governing Body shall lay down the broad policy framework for functioning of State level CAMPA and review its working from time to time.

13 (2) The Steering Committee of State CAMPA shall consist of the following :—

(i)	Chief Secretary	-	Chairperson
(ii)	Additional Chief Secretary/Principal Secretary (Forests)	-	Member
(iii)	Principal Secretary/Secretary (Finance)	-	Member
(iv)	Principal Chief Conservator of Forests	-	Member
(v)	Chief Wild Life Warden	-	Member
(vi)	Managing Director, Chhattisgarh Rajya Laghu Vanopaj Sangh	-	Member
(vii)	A representative of the Ministry of Environment & Forests Government of India.	-	Member
(viii)	Two eminent NGO's to be Nominated by the State Government for a period of 2 years at a time who shall be eligible for renomination:	-	Member
(ix)	Chief Conservator of Forests (Development/Planning)	-	Member
(x)	Nodal Officer, (Chief Conservator of Forests, Land Management)	-	Member
(xi)	Additional Principal Chief Conservator of Forests (CAMPA)	-	Member Secretary

13 (3) The Steering Committee shall :—

(i) Lay down and/or approve rules and procedures for the functioning of the body and its Executive Committee, subject to the overarching objectives and core principles of State CAMPA;

(ii) Monitor the progress of the utilization of funds released by the State CAMPA;

(iii) Approve the Annual Plan of Operation (APO) prepared by the Executive Committee.

(iv) Approve the annual reports and audited accounts of the State CAMPA;

(v) Ensure inter-departmental coordination;

(vi) Meet at least once in six months.

14 (1) The Executive Committee shall consist of the following :—

(i)	Principal Chief Conservator of Forests	-	Chairperson
(ii)	Chief Wild Life Warden	-	Member
(iii)	Managing Director, Chhattisgarh Rajya Laghu Vanopaj Sangh	-	Member
(iv)	Chief Conservator of Forests (Development/Planning)	-	Member
(v)	Two eminent NGO's to be Nominated by the State Government for a period of 2 years at a time, who shall be eligible for re-nomination.	-	Member
(vi)	Nodal Officer (Chief Conservator of Forests, Land Management)	-	Member
(vii)	Additional Principal Chief Conservator of Forests (CAMPA)	-	Member Secretary

14 (2) The State level Executive Committee shall :—

(i) Take all steps for giving effect to the State CAMPA and overarching objectives and core principles, in accordance with rules and procedures approved by the Steering Committee and approved APO;

(ii) Prepare the APO of the State for various activities, submit it to the Steering Committee before end of December for each financial year, and obtain the Steering Committee's concurrence for the release of funds, while giving breakup of the proposed activities and estimated costs;

(iii) Supervise the works being implemented in the State out of funds released from the State CAMPA;

(iv) Be responsible for proper auditing of both receipt and expenditure of funds;

(v) Develop the code for maintenance of the account at the implementing agency level;

(vi) Submit reports to the Steering Committee for review/consideration; and

(vii) Prepare Annual Report by end-June for each financial year.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश गोवर्धन, सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जून 2010

क्रमांक एफ 1-24/2009/14-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ अधीनस्थ कृषि तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—**

(1) ये नियम छत्तीसगढ़ अधीनस्थ कृषि तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) कार्यपालिक सेवा भर्ती नियम, 2010 कहलायेंगे.

(2) ये नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकारी जिसे शासन द्वारा सेवा या पद में भर्ती हेतु नियुक्ति करने की शक्ति सौंपी गई हो या इसमें इसके पश्चात् सौंपी जायें;

(ख) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन भर्ती या पदोन्नति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति;

(ग) "सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार;

(घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(ङ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(च) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(छ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ज) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्र. एफ 8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26-12-84 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग;

(झ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ कृषि तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) कार्यपालिक सेवा;

(ञ) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य.

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति समाविष्ट होंगे, अर्थात् :—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलत: धारण कर रहे हों,

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों,

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों, और

(4) वे व्यक्ति, जो अन्य विभाग से आदेशों के अनुरूप स्थानांतरित किये गये हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान अनुसूची-एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी.

परंतु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी तौर पर, वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. **भर्ती का तरीका.**—

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती, निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:—

(क) प्रतियोगी परीक्षा या मेरिट तथा साक्षात्कार के आधार पर चयन द्वारा सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट है;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मौलिक/स्थानापन्न हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये.

(2) उप-नियम (1) के खंड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट कर्त्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किसी भी समय भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके, अनुसूची-चार में उल्लिखित अनुसार गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर होंगे.

(4) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति के साथ, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगी, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे.

(5) सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए मेरिट के आधार पर चयन के लिए शासन द्वारा मापदण्ड निर्धारित किये जायेंगे. तथापि नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति गठित करेगा, जो इन मापदण्डों के अलावा अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगा.

(6) भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू रहेंगे.

7. **सेवा में नियुक्ति.**—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.**— परीक्षा में प्रतियोगिता/चयन के लिए पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात् :—

(एक) **आयु.**—

(क) परीक्षा/चयन के प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को, अभ्यर्थी ने अनुसूची-तीन के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और अनुसूची-तीन के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो.

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जायेगी.

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जायेगी :—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ का स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, अड़तीस वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए.

(दो) ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, अड़तीस वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए. यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी.

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते

इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :— शब्द "छटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो.

(ङ) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्तें इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा हो तथा जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी किया गया हो अथवा जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो.

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो,

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें;

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो,

(तीन) मद्रास सिविल इकाई के भूतपूर्व कार्मिक,

(चार) उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है)

(पांच) अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी,

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो,

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है,

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो.

टीप.—

(1) उपरोक्त नियम 8 (1) (घ) (एक) एवं (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छटनी कर दी जाती हो तो वे पात्र बने रहेंगे.

टीप (2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेगी, विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए उनके नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी.

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(छ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ज.) शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी सामान्य उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(झ) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी.

(ञ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

(ट) आयु सीमा के संबंध में, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे.

(ठ) उपरोक्त किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट दिये जाने के उपरांत, शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(दो) **शैक्षणिक अर्हतायें.**— अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए जैसा कि अनुसूची-तीन में दर्शाई गई है.

(तीन) **फीस.**— अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित फीस यदि कोई हो, का भुगतान करना होगा.

9. **निरर्हता.**— अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये निरर्हित माना जा सकेगा.

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.**— परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी.

11. **प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती.**—

(1) **प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती**—नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति गठित करेगा जिसमें तीन सदस्य समाविष्ट होंगे.

(एक) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा, ऐसे अंतरालों से ली जायेगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर शासन के परामर्श से निर्धारित करें.

(दो) परीक्षा, शासन द्वारा समय-समय पर जारी ऐसे आदेशों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ली जायेगी.

(2) **चयन द्वारा सीधी भर्ती-**

(एक) सेवा के लिये अभ्यर्थियों का चयन, उनके साक्षात्कार के पश्चात्/या प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी.

(दो) अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा.

(तीन) चयन समिति, समुचित समय अंतरालों में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित की जायेगी.

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिये, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर पदों को, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार आरक्षित किया जायेगा.

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, भले ही अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो.

(5) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों को जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया है, उप-नियम (3) के अधीन, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार 30% पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे.

(7) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया हो और सक्षम प्राधिकारी की राय में यह पाया जाता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, वहां सक्षम प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा.

(8) कुल रिक्तियों में से कुछ पदों को विकलांग अभ्यर्थियों के लिए, आरक्षित रखे जायेंगे. यह आरक्षण प्रभागवार के साथ-साथ समस्तर (होरीजोन्टल के साथ-साथ कम्पार्टमेन्ट वाइस) होगा. उपयुक्त विकलांग अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, आरक्षित पदों के विरुद्ध इसे सामान्य संवर्ग के अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा.

12. **समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.—**

(1) चयन समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हो जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये चयन समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, तैयार करेगा तथा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा. यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी.

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिए कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.

सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्तियों के 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा 14 प्रतिशत क्रमशः उन अभ्यर्थियों जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य हैं, के लिए आरक्षित रखे जायेंगे.

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :—**

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें अनुसूची-चार के कॉलम (5) में उल्लिखित सदस्य समाविष्ट होंगे.

परन्तु इस उप-नियम के अधीन, समिति के गठन के प्रयोजन के लिये, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जायेगा.

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी जो साधारणतया एक वर्ष से अधिक की न हो.

(3) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति दी जायेगी.

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार रहेगी.

(5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार पदोन्नति दी जायेगी.

14. **पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.—**

(1) समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पद/सेवा में अथवा शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किसी अन्य पद या पदों में (चाहे मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से) सेवा पूर्ण कर ली हो.

स्पष्टीकरण .— (1) पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति.— संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं.

(2) चयन का क्षेत्र, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 तथा समय-समय पर जारी शासकीय परिपत्र द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगा.

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.—**

(1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया हो. यह सूची, उस कैलेण्डर वर्ष के लिए प्रत्याशित रिक्तियों को भरने हेतु पर्याप्त होगी.

(2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी.

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक चयन सूची के तैयारी के समय, चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे.

(4) पदोन्नति के लिए चयन सूची तैयार करते समय मापदण्ड वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनिऑरिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस) होगी.

स्पष्टीकरण :— ऐसा व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा.

16. **चयन सूची.—**

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पद से, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी.

(2) चयन सूची, सामान्यत: इसके तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी.

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्त्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी के कहने पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि समिति उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा.

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.—**

(1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा-संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार सूची में आये हो.

(2) साधारणत: उस व्यक्ति की जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख की बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाए, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो.

18. **परिवीक्षा.—** सेवा में रिक्त पदों के विरुद्ध सीधी भर्ती या पदोन्नत किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा.

19. **निर्वचन.—** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा.

20. **शिथिलीकरण.—** इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को जो उसे न्यायसंगत एवं साम्यपूर्ण प्रतीत हो, सीमित या कम करती है.

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो.

21. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों में की गई कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के लिए, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

22. **निरसन तथा व्यावृत्ति.—** इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिये)

छत्तीसगढ़ अधीनस्थ कृषि (लिपिक वर्गीय) सेवा

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	शीघ्रलेखक ग्रेड-I	1	तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)	9300-34800/4400	
2.	अधीक्षक	1	तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)	9300-34800/4300	
3.	शीघ्रलेखक ग्रेड-II	4	—तदैव—	9300-34800/4300	
4.	सहायक प्रोग्रामर	1	—तदैव—	9300-34800/4300	
5.	सहायक अधीक्षक	2	—तदैव—	9300-34800/4200	
6.	शीघ्रलेखक ग्रेड-III	17	—तदैव—	5200-20200/2800	
7.	सहायक ग्रेड-I/मुख्य लिपिक/संभागीय लेखापाल	35	—तदैव—	5200-20200/2800	
8.	लेखा परीक्षक/लेखापाल/सहायक ग्रेड-II/सहायक लेखा परीक्षक	268	—तदैव—	5200-20200/2400	
9.	डाटा एन्ट्री आपरेटर ग्रेड-बी	5	—तदैव—	5200-20200/2200	
10.	सहायक ग्रेड-III	419	—तदैव—	5200-20200/1900	
11.	स्टेनोटायपिस्ट	24	—तदैव—	5200-20200/1900	

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिये)

छत्तीसगढ़ अधीनस्थ कृषि (लिपिक वर्गीय) सेवा

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्त्तव्य पदों का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा नियम-6 (क) देखिये	सेवा के मूल शाखा का पदोन्नति द्वारा नियम 6 (ख) देखिये	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा नियम 6 (ग) देखिये	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	शीघ्रलेखक ग्रेड-I	1	-	100 प्रतिशत		
2.	अधीक्षक	1	-	100 प्रतिशत		
3.	शीघ्रलेखक ग्रेड-II	4	-	100 प्रतिशत		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	सहायक प्रोग्रामर	1	-	100 प्रतिशत		
5.	सहायक अधीक्षक	2	-	100 प्रतिशत		
6.	शीघ्रलेखक ग्रेड-III	17	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत		
7.	संभागीय लेखापाल/सहायक ग्रेड-I/मुख्य लिपिक/संभागीय लेखापाल.	35	-	100 प्रतिशत		
8.	लेखा परीक्षक/लेखापाल/सहायक ग्रेड-II/सहायक लेखा परीक्षक.	268	-	100 प्रतिशत		
9.	डाटा एन्ट्री आपरेटर ग्रेड-बी	5	100 प्रतिशत	-		
10.	सहायक ग्रेड-III	419	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत		
11.	स्टेनोटायपिस्ट	24	100 प्रतिशत	-		

अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिये)

छत्तीसगढ़ अधीनस्थ कृषि (लिपिक वर्गीय) सेवा

विभाग का नाम (1)	सेवा का नाम (2)	न्यूनतम आयु सीमा (3)	अधिकतम आयु सीमा (4)	शैक्षणिक अर्हता (5)	टिप्पणियां (6)
कृषि विभाग	सहायक ग्रेड-III	18	35	हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से 25 शब्द/मिनट की गति के साथ हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डाटा एन्ट्री में 5,000 डिप्रेशन प्रति घण्टा के साथ डाटा एन्ट्री/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण-पत्र.	
	स्टेनोटायपिस्ट	18	35	हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 25 शब्द/मिनट की गति के साथ हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण तथा हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा 60 शब्द/मिनट की गति से उत्तीर्ण. डाटा एन्ट्री में 5,000 डिप्रेशन प्रति घण्टा के साथ डाटा एन्ट्री/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण-पत्र.	
	डाटा एन्ट्री आपरेटर ग्रेड-बी	18	35	हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री में 8,000 डिप्रेशन प्रति घण्टा के साथ डाटा एन्ट्री/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र. 50 शब्द/मिनट की गति से हिन्दी कम्प्यूटर मुद्रलेखन के साथ शासकीय/अर्द्धशासकीय संगठन में कम्प्यूटर आपरेटर में एक वर्ष का अनुभव.	

अनुसूची-चार
(नियम 13 देखिये)

छत्तीसगढ़ अधीनस्थ कृषि (लिपिक वर्गीय) सेवा

विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	सेवा के लिए अपेक्षित अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कृषि विभाग	1. सहायक अधीक्षक	अधीक्षक	5 वर्ष	**कृषि संचालनालय के लिए :—** 1. अतिरिक्त संचालक कृषि —अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक कृषि —सदस्य 3. आरक्षित संवर्ग से प्रतिनिधि —सदस्य अधिकारी. 4. उप संचालक कृषि (स्थापना का प्रभारी)	
	2. संभागीय लेखापाल/ सहायक ग्रेड-I/ मुख्य लिपिक.	सहायक अधीक्षक	5 वर्ष		
	3. लेखा परीक्षक/ लेखापाल/सहायक ग्रेड-II/सहायक लेखा परीक्षक.	संभागीय लेखापाल/ सहायक ग्रेड-I/मुख्य लिपिक	5 वर्ष		
	4. शीघ्रलेखक ग्रेड-II	शीघ्रलेखक ग्रेड-I	5 वर्ष	**संभागीय स्तर के पदों के लिए :—** 1. संचालक कृषि द्वारा नामांकित — अध्यक्ष उप संचालक कृषि 2. संयुक्त संचालक कृषि द्वारा — सदस्य नामांकित उप संभाग का कोई तीन उप संचालक जिसमें से एक सदस्य आरक्षित संवर्ग का होना चाहिए. 3. संबंधित संभागीय कार्यालय—सदस्य सचिव के स्थापना शाखा का प्रभारी, द्वितीय श्रेणी अधिकारी.	
	5. शीघ्रलेखक ग्रेड-III	शीघ्रलेखक ग्रेड-II	5 वर्ष		
	6. स्टेनोटायपिस्ट	शीघ्रलेखक ग्रेड-III	5 वर्ष		
	7. डाटा एन्ट्री आपरेटर ग्रेड-बी.	सहायक प्रोग्रामर	5 वर्ष		
	8. सहायक ग्रेड-III	लेखा परीक्षक/ लेखापाल/ सहायक ग्रेड-II/ सहायक लेखा परीक्षक.	5 वर्ष		छ. ग. शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार.
	9. चतुर्थ श्रेणी	सहायक ग्रेड-III	5 वर्ष		

Raipur, the 30th June 2010

File No. F 1-24/2009/14-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules, relating to the Recruitment to the Chhattisgarh Sub-ordinate Agricultural Class-III (Ministerial) Service, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.—**

(1) These rules may be called the Chhattisgarh Sub-ordinate Agricultural Class-III (Ministerial) Executive Service Recruitment Rules, 2010.

(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires ,-

(a) "Appointing Authority" in respect of the service means such authority to whom powers of appointment has been or hereinafter may be delegated by the Government for recruitment in the service or post;

(b) "Selection Committee" means Selection Committee, constituted by the appointing authority for recruitment or promotion under these rules;

(c) "Government" means the Government of Chhattisgarh ;

(d) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh ;

(e) "Schedule" means a schedule appendend to these rules ;

(f) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article-341 of the Constitution of India ;

(g) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article-342 of the Constitution of India ;

(h) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide notification No. F. 8-5/XXV/4/84, dated 26-12-84 as amended from time to time ;

(i) "Service" means the Chhattisgarh Sub-ordinate Agricultural Class-III (Ministerial) Executive Service;

(j) "State" means the State of Chhattisgarh..

3. **Scope and Application.**— Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rule, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the Service .**—The Service shall consist of the following persons, namely :—

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in the Schedule-I;

(2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules ;

(3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules; and

(4) Persons transferred from other department as per orders.

5. **Classification, Scale of Pay etc.**—The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I ;

Provided that the Government may, from time to time, add or reduce the number of the posts included in the service either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment.**—

(1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely :—

(a) By direct recruitment, by competitive examination or by selection on the basis of merit and interview;

(b) By promotion of members of the Service as specified in column (2) of Schedule-IV;

(c) By transfer/deputation of the persons who hold in a substantive/officiating capacity such posts in such services as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not, at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled at any time shall be done on the recommendations of the Departmental Promotion Committee constituted as mentioned in Schedule-IV.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority the exigencies of the service so require the Government may with prior concurrence of the General Administration Department adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) Criteria for Selection on merit basis for filling the post by direct recruitment shall be fixed by the Government. However Appointing Authority should set up a selection committee which can adopt other reasonable criteria instead of these criteria with the consent of the Government.

(6) At the time of recruitment the provisions of Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 and the directions issued by General Administration Department from time to time shall be applicable.

7. **Appointment to the Service.**— All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by any-one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.**—In order to be eligible to compete at the examination/ selection a candidate must satisfy the following conditions, namely :—

(I) **Age :**—

(a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and must not have attained the age as specified in column (4) of Schedule-III on the first day of January next following the date of commencement of the examination/selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Castes or a Scheduled Tribes or Other Backward Classes.

(c) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum 10 years to a woman candidates, as per provisions of Chhattisgarh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Woman) Rules, 1997.

(d) The upper age limit shall be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below :—

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government Servant of Chhattisgarh should not be more than thirty eight years of age.

(ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for another post should not be more than thirty eight years of age. This concession shall also be admissible to contingency paid employees, work-charged employees and the employees working in the Project Implementing Committees ;

(iii) A candidate, who is retrenched Government Servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up-to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation -- The term "retrenched Government Servant" denotes a person, who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent sunits for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Services.

(e) A candidate who is an ex-serviceman will be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provided that resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.— The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any Employment Exchange or application made otherwise for employment in the Government service :—

(i) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-

(a) completion of short-term engagement;

(b) fulfilling the conditions of enrollment;

(iii) Ex- personnel of Madras Civil Unit;

(iv) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service Regular Commissioned Officer);

(v) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies ;

(vi) Ex-servicemen invalidated out of service;

(vii) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers ;

(viii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot wounds, etc.

Note : (1) Candidates who are admitted to the examination/selection under the age concessions mentioned in rule 8 (d) (1) and (2) above will not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign

from service either before or after the examination/selection. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(2) In no other case these age limits shall be relaxed. Departmental candidates must obtain previous permission of their Appointing Authority to appear for the examination/selection.

(f) The upper age limit shall also be relaxable up to a maximum 2 years in respect of Green Cards Holder candidates under Family Welfare Programme.

(g) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-Caste Marriage Incentive Scheme of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Welfare Department.

(h) The general upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of 5 years in respect of the Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveer Chand Banjdeo Awards holder candidates and National Youth Award holder young candidates.

(i) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 38 years of age in respect of candidates who are employees of Chhattisgarh State Corporations/Boards.

(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and non-commissioned officers of Home Guard for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

(k) In respect of age limit, the directions issued by General Administration Department from time to time, shall also be applicable.

(l) After providing relaxation on the basis of any one or more concession mentioned above, for entering in Government service the maximum age shall not exceed 45 years.

(II) **Educational Qualifications.**—The candidates must possess the educational qualification prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(III) **Fees.**— The candidate must pay the fees if any prescribed by the Appointing Authority..

9. **Disqualifications.**— Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for appearing in the examination/selection.

10. **Appointing authority's decision as to eligibility of the candidates shall be final.**— The decision of the Appointing Authority as to eligibility or otherwise of a candidate for appearing in examination/selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be allowed to appear in the examination/interview.

11. **Direct recruitment by competitive examination/selection.—**

(1) **Direct Recruitment by Competitive Examination**—Appointing Authority shall constitute a selection committee consisting of three members.

(i) The Competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority in consultation with the Government from time to time determine.

(ii) The examination shall be held by the Appointing Authority in accordance with such orders issued by the Government from time to time.

(2) **Direct recruitment by selection**—

(i) The selection of a candidate for the service shall be made by the Appointing Authority after interviewing them/or by conducting a competitive examination.

(ii) The selection of candidates will be done by the Selection Committee based on interview, and

(iii) The Selection Committee shall be constituted by the Appointing Authority at appropriate time intervals.

(3) There shall be reserved post for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and orders issued by the State Government from time to time.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative ranks as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the Committee to be suitable for appointment to the Service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as the case may be under sub-rule (3).

(6) 30% posts shall be reserved for women candidates, in accordance with the provision of Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(7) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the post to filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Competent Authority that there is a possibility that the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes may not be available in sufficient number the Competent Authority may relax the condition of experience in respect of the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(8) Out of total vacancies, posts shall be reserved for handicapped candidates. This reservation shall be horizontal as well as compartment-wise. In case suitable handicapped candidate is not available against reserved post it may be filled up by a candidate of General category.

12. **List of candidates recommended by the Selection Committee.—**

(1) The Selection Committee shall prepare and forward a list to the Appointing Authority arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards, as may be determined by the Selection Committee and a list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by the such standard, but are declared by the Selection Committee to be suitable for appointment to the service, with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidates name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

16 percent, 20 percent and 14 percent of the available vacancies for direct recruitment shall be reserved for candidates who are members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes respectively.

13. **Appointment by promotion.—**

(1) There shall be constituted a Committee consisting of the members mentioned in Column (5) of Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates :

Provided that, for the purpose of constitution of the Committee under this sub-rule, the provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be adhered to.

(2) The Committee shall meet at such intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) The promotion shall be in accordance with the roaster prescribed by the Government of Chhattisgarh from time to time.

(4) Procedure for making promotions in the reserved vacancies shall be made in accordance with the instructions issued by the General Administration Department of the Government from time to time.

(5) Promotion shall be made in accordance with the provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

14. **Conditions of eligibility for promotion.—**

(1) The Committee shall consider the cases of all persons who on the first day of January of that year, had completed the service (whether officiating or substantive) in the post/service mentioned in Column (2) of Schedule-IV or any other posts or posts declared equivalent there to by the Government.

Explanation:— Manner of computation for eligibility for promotion -The calculation of the period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which the Departmental Promotion Committee/Screening Committee is convened shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeder cadre/part of the service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of the service/pay scale of post.

(2) The field of selection shall be as per the procedure prescribed by Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the Government circulars issued from time to time.

15. **Preparation of list of suitable candidate.—**

(1) The Committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the conditions prescribed in Rule-14 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. This list shall be sufficient to cover probable vacancies for that calendar year.

(2) The list of suitable officers shall be prepared according to the provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(3) As per the provisions of Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Services) Rule, 1961 the name of the persons included in the select list shall be arranged in order of seniority in the service or posts specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of each select list.

(4) At the time of preparing the Selection List for promotion, the criteria shall be seniority subject to fitness.

Explanation—A person whose name is included in a select list shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

16. **Selection List.—**

(1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall from the Select List for promotion of the members of the service from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV, to the posts as mentioned in column (3) of the said Schedule-IV.

(2) The select list shall ordinarily be in force for the period of one year from the date of its preparation.

Provided that in the event of grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the Select List a special review of the Select List may be made at the instance of the appointing authority and if the committee may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

17. **Appointment to the service from the select list.—**

(1) Appointment of the persons included in the select list shall be made to the posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which their names appear in the list in accordance with the provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in select list and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

18. **Probation.—** Every person recruited directly or by promotion to the service against a clear vacancy shall be appointed on probation for a period of two years.

19. **Interpretation.—** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

20. **Relaxation.—** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and equitable.

Provided that the case shall not be dealt with in any manner, less favourable to him than that provided in these rules.

21. **Saving.—** Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and women candidates in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

22. **Repeal and Saving.—** All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YAKUB KHESS, Deputy Secretary.

SCHEDULE-I
(See Rule-5)

Chhattisgarh Subordinate Agricultural (Ministerial) Service

S. No. (1)	Name of posts included in service (2)	No. of Posts (3)	Classification (4)	Scale of Pay (5)	Remarks (6)
1.	Stenographer Grade-I	1	Class-III (Ministerial)	9300-34800/4400	
2.	Superintendent	1	Class-III (Ministerial)	9300-34800/4300	
3.	Stenographer Grade-II	4	—do—	9300-34800/4300	
4.	Assistant Programmer	1	—do—	9300-34800/4300	
5.	Assistant Superintendent	2	—do—	9300-34800/4200	
6.	Stenographer Grade-III	17	—do—	5200-20200/2800	
7.	Assistant Grade-I/Head Clerk/ Divisional Accountant.	35	—do—	5200-20200/2800	
8.	Account Auditor/Accountant/ Assistant Grade-II/Assistant Account Auditor.	268	—do—	5200-20200/2400	
9.	Data Entry Operator Grade-B	5	—do—	5200-20200/2200	
10.	Assistant Grade-III	419	—do—	5200-20200/1900	
11.	Steno typist	24	—do—	5200-20200/1900	

SCHEDULE-II
(See Rule-6)

Chhattisgarh Subordinate Agricultural (Ministerial) Service

S No	Name of post included in service	Total No. of posts	Percentage of the number of duty posts to be filled in			Remarks
			By direct recruitment rule 6 (a)	By promotion of the substantive number of the service rule 6 (b)	By transfer of persons from other services vide rule 6 (c)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Stenographer Grade-I	1	-	100 Percent		
2.	Superintendent	1	-	100 Percent		
3.	Stenographer Grade-II	4	-	100 Percent		
4.	Assistant Programmer	1	-	100 Percent		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	Assistant Superintendent	2	-	100 Percent		
6.	Stenographer Grade-III	17	50 Percent	50 Percent		
7.	Divisional Accountant/ Assistant Grade-I/Head Clerk.	35	-	100 Percent		
8.	Auditor/Accountant/ Assistant Grade-II/ Assistant Account Auditor.	268	-	100 Percent		
9.	Data Entry Operator Grade-B.	5	100 Percent	-		
10.	Assistant Grade-III	419	75 Percent	25 Percent		
11.	Steno Typist	24	100 Percent	-		

SCHEDULE-III
(See Rule-8)

Chhattisgarh Subordinate Agricultural (Ministerial) Service

Name of Depart-ment (1)	Name of the Service (2)	Minimum age limit (3)	Upper age limit (4)	Educational Minimum qualification prescribed for direct recruits (5)	Remarks (6)
Depart-ment of Agri-culture	Assistant Grade-III	18	35	Higher Secondary (10+2) passed and Hindi Typing Examination pass with speed of 25 words/minute for recognized institution. One year diploma certificate in Data Entry/ Programming with 5,000 depression per hour in data entry from recognized univer-sity.	
	Steno typist	18	35	Higher Secondary (10+2) passed and Hindi Typing Examination pass with speed of 25 words/minute and Hindi Short hand Examination pass with speed in 60 words/ minute. One year diploma certificate in Data Entry/Programming with 5,000 depression per hour in data entry from recognized university.	
	Data Entry Operator Grade-B	18	35	Higher Secondary (10+2) passed. One year diploma certificate in Data Entry/Program-ming with 8,000 depression per hour in data entry from recognized institute. Experience of one year Computer Operator in Govt./Semi Govt. organization with Hindi Computer Typing Speed of 50 words/ minute.	

SCHEDULE-IV
(See Rule-13)

Chhattisgarh Subordinate Agricultural (Ministerial) Service

Name of Department	Name of Service or posts to which promotion is to be made	Name of the Service or Post from which Promotion is to be made	Experience required for Promotion	Name of members of the Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Department of Agriculture	1. Assistant Superintendent	Superintendent	5 year	**For Directorate of Agriculture :—** 1. Additional Director Agriculture. — Chairman 2. Joint Director Agriculture. — Member 3. Representative from a reserved category. — Member 4. Deputy Director Agriculture. (In-charge of Establishment) — Member	
	2. Divisional Accountant/ Assistant Grade-I/Head Clerk.	Assistant Superintendent	5 year		
	3. Auditor/ Accountant/ Assistant Grade-II/ Assistant Account Auditor.	Divisional Accountant/ Assistant Grade-I/ Head Clerk	5 year		
	4. Stenographer Grade-II	Stenographer Grade-I	5 year	**For the post of division level :—** 1. Deputy Director of Agriculture nominated by Director Agriculture. — Chairman 2. Any 3 Deputy Director of that division nominated by Joint Director Agriculture out of which one member should be or reserved category. — Member 3. Class-II officer I/C of establishemet section of concerning divisional office. — Member Secretary	
	5. Stenographer Grade-III	Stenographer Grade-II	5 year		
	6. Steno Typist	Stenographer Grade-III	5 year		
	7. Data Entry Operator Grade-B	Assistant Programmer	5 year		
	8. Assistant Grade-III	Auditor/ Accountant/ Assistant Grade-II/ Assistant Account Auditor	5 year		As per orders issued by Govt. of C. G. from time to time.
	9. Class-IV	Assistant Grade-III	5 year		

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 29 जून 2010

क्रमांक/5468/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	मासुल प. ह. नं. 52	14.13	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	डुबान एवं नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 जून 2010

क्रमांक/5469/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	बुचाटोला प. ह. नं. 48	4.73	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	डुबान एवं नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 जून 2010

क्रमांक/5470/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	फाफामार प. ह. नं. 51	14.76	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	मुख्य नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 25 मार्च 2010

क्रमांक/531/अ.भू.-अ.प्र./अ-82/वर्ष 09-2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुण्डरदेही	ईरागुड़ा प. ह. नं. 24	0.59	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बालोद.	ईरागुड़ा चारभांठा पायला मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन मुख्यालय दुर्ग में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 25 मार्च 2010

क्रमांक/534/अ.भू.-अ.प्र./अ-82/वर्ष 09-2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुण्डरदेही	चारभांठा प. ह. नं. 35	0.10	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बालोद.	ईरागुड़ा चारभांठा पायला मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन मुख्यालय दुर्ग में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 7 जून 2010

क्रमांक 07/अ-82/05-06.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	बानाबेल प. ह. नं. 5	0.962	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	बानाबेल जलाशय योजना नहर निर्माण के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 7 जून 2010

क्रमांक 09/अ-82/05-06.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	आमामुड़ा प. ह. नं. 5	0.133	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	बानाबेल जलाशय नहर निर्माण के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2010

क्रमांक 330/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 07/अ-82/वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-आरंग
(ग) नगर/ग्राम-कुहेरा, प. ह. नं. 70/17
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.02 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	10	0.20
	14	0.02
	15	0.43
	16	0.41
	24	0.70
	25/1	0.14
	68	0.35
	69/1	0.04
	71/1	0.25
	306	0.27
	307/2	0.08
	311	0.13
योग	12	3.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- नई राजधानी योजनांतर्गत प्लानिंग एवं सड़क क्रमांक 09 A के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2010

क्रमांक 331/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 10/अ-82/वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-मंदिर हसौद, प. ह. नं: 73/14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.610 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	1253/3	0.040
	1254/1	0.081
	1254/2	0.310
	1254/3	0.061
	1256/4	0.506
	1256/5	0.034
	1256/6	0.032
	1256/7	0.170
	1256/8	0.324
	1256/9	0.081
	1256/10	0.250
	1256/11	1.008
	1256/13	0.045
	1256/14	0.145
	1261/3	0.020
	1261/7	0.020
	1262/1	0.092
योग	17	3.610

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- नई राजधानी योजनांतर्गत लोकहित में नया रायपुर परियोजना में सड़क क्रमांक-8 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का मिरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2010

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 16/अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कचना, प. ह. नं. 40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.554 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	523/1	0.425
	523/2	1.279
	523/3	0.425
	523/4	0.425
योग	4	2.554

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- विभिन्न आय वर्ग के हितग्राहियों के आवास निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2010

क्रमांक 4388/रा.शा./वि.प्रा./2010.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है तथा प्रकाशित किया जाता है कि रायपुर विकास प्राधिकरण नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा नई योजना टाटीबंध ट्रांसपोर्ट नगर (ग्राम टाटीबंध प.ह.नं. 34) में नगर विकास स्कीम तैयार करने का आशय रखता है.

दक्षिण में :— खसरा नं. 390 का भाग, 379, 380, 376, 378, 345, 344, 341, 340, 339, 338.

पश्चिम में :— खसरा नं. 338, 332, 320, 321, 322, 303, 302.

उत्तर में :— खसरा नं. 303, 302, 324, 325 का भाग, 326, 335, 336, 338, 355, 338, 348, 349, 345, 369, 368.

पूर्व में :— खसरा नं. 364, 365, 366, 414, 410, 412, 413, 401, 400, 393, 390.

No. 4388/रा.शा./वि.प्रा./2010.—It is here by declared published for the information of the general public under sub section (2) of section 50 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 that the Raipur Development Authority Town and Country Development Authority intend to prepare Town Development Scheme for New Yojna Tatibandh Transport Nagar P.H.N. 34.

South :— Kha. No. Part of 390, 379, 380, 376, 378, 345, 344, 341, 340, 339, 338.

West :— Kha. No. 338, 332, 320, 321, 322, 303, 302.

North :— Kha. No. 303, 302, 324, Part of 325, 326, 335, 336, 338, 355, 338, 348, 349, 345, 369, 368.

East :— Kha. No. 364, 365, 366, 414, 410, 412, 413, 401, 400, 393, 390.

एस. एस. बजाज,
अध्यक्ष.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 3oth June 2010

No. 259/Confdl./2010/II-2-1/2010.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office and;

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Sessions Judge of the Sessions Division

mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :-

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Inder Singh Uboweja, Presiding Officer, State Transport Appellate Tribunal.	Raipur	Jagdalpur	Bastar	District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 8th July 2010

No. 265/Confdl./2010/II-2-1/2010.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office; and

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :-

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Sewak Ram Banjare, I Additional District & Sessions Judge.	Manendragarh	Baikunthpur	Koriya (Baikunthpur)	I Additional District & Sessions Judge, Manendragarh at Baikunthpur.

By order of the Hon'ble High Court,
A. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.

Bilaspur, the 28th June 2010

No. 254/Confdl./2010/II-2-1/2010.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of their office; and

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judge of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :-

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri M. P. Singhal, District & Sessions Judge.	Kabirdham (Kawardha)	Rajnandgaon	Rajnandgaon	District & Sessions Judge.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Shri Shiv Mangal Pandey, II Additional Principal Judge, Family Court.	Durg	Kawardha	Kabirdham (Kawardha)	District & Sessions Judge.

By order of the Hon'ble High Court,
G. MINHAJUDDIN, I/C Registrar General.

Bilaspur, the 6th July 2010

No. 259/L.G./2010/II-3-16/2006.—Shri A. K. Shukla, District & Sessions Judge, Dhamtari is hereby, granted earned leave for 05 days from 12-07-2010 to 16-07-2010 and permission to prefix holidays of 10th & 11th July 2010 (2nd Saturday & Sunday) & suffix holidays of 17th & 18th July 2010 (3rd Saturday & Sunday) along with permission to remain out of headquarters from 10-07-2010 to 18-07-2010.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shukla, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 240+10 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
BALINDAR SINGH SALUJA, Additional Registrar.